संख्या-70/2018/2708/33-3-2018-110/2012

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,

मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

(जनपद-गोण्डा, अम्बेडकर नगर, संभल एवं कानपुर देहात को छोड़कर)

उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त, 2018**

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बेसलाईन सर्वे 2012 के समय छूटे हुए व सर्वे के उपरान्त बढ़े हुए पात्र परिवारों की संख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-66/2018/2611/33-3-2018-110/2012 दिनांक 06.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अपने जनपद में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बेसलाईन सर्वे 2012 के समय छूटे हुए व सर्वे के उपरान्त बढ़े हुए पात्र परिवारों की संख्या मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 को दिनांक 10.08.2018 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।

अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) भारत सरकार व प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में से एक है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश को 02 अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौचमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 के पत्र संख्या-5/3861/2018 /44/2017-एस.बी.एम.(जी) दिनांक 25.07.2018 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके जनपद में बेसलाइन सर्वे 2012 के समय छूटे हुए पात्र परिवार तथा बेसलाइन सर्वे 2012 के उपरान्त बढ़े हुए पात्र परिवारों की संख्या मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अद्यतन जनपद-गोण्डा, अम्बेडकर नगर, संभल एवं कानपुर देहात को छोड़कर शेष समस्त जनपदों की सूचना निदेशालय को जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से अप्राप्त है।

प्रदेश को वास्तविक रूप से खुले में शौचमुक्त बनाने हेतु बेसलाईन सर्वे 2012 के समय छूटे हुए पात्र परिवार व सर्वे के उपरान्त बढ़े हुए पात्र परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण भी

http://shasnadeshup.nic.in

कराया जाना भी आवश्यक है। वर्तमान नियमों के अधीन ऐसे परिवारों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि अनुमन्य नहीं हैं, जिसके लिए पृथक से प्रयास किया जाना आवश्यक है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समय से सूची प्रेषित न किए जाने पर समयान्तर्गत प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) किया जाना सम्भव नहीं होगा। अत: संलग्न प्रारूप पर अपने जनपद में बेसलाइन सर्वे 2012 के समय छूटे पात्र परिवार तथा बेसलाइन सर्वे 2012 के उपरान्त बढ़े हुए पात्र परिवारों की संख्या मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 को **दिनांक 20.08.2018** तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)

मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.निदेशक, पंचायतीराज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 लखनऊ।

2.समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

4.समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।

5.समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

6.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

क्र0सं0	जनपद का नाम	बेसलाईन सर्वे 2012 के अनुरूप परिवारों की संख्या	बेसलाईन सर्वे 2012 के समय छूटे हुए परिवारों की संख्या			बेसलाईन सर्वे 2012 के उपरान्त बढ़े हुए परिवारों की संख्या			बेसलाईन सर्वे 2012 के समय छूटे एवं बेसलाईन सर्वे 2012 के उपरान्त बढ़े हुए परिवारों की संख्या का कुल योग (6+9)
			स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता वाले परिवारों की संख्या	ऐसे परिवार, जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत पात्र नहीं है।	योग (4+5)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता वाले परिवारों की संख्या	ऐसे परिवार, जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत पात्र नहीं है।	योग (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

http://shasnadeshup.nic.in